



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092021-230088
CG-DL-E-30092021-230088

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567]
No. 567]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 06/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 687(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, उपवाक्य (छ) में, शब्द, अंक, अक्षर और संकेत "आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "की धारा 12कक या 12कख" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 17 में,-

- (i) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार का अस्थायी या स्थायी हस्तांतरण या उसके उपयोग की अनुमति।	9	-";

(ग) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

- (i) कॉलम (3), (4) और (5) में, मद (ig) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(igक) मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली एल्कोहलिक शराब के विनिर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं	9	-";

- (ii) मद (ig) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (ik), (ix) और (ig)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (ik), (ix), (ig) और (igक)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iii) मद (iv) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (ik), (ix), (ig), (ig), (ii), (iik), और (iii)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (ik), (ix), (ig), (igक), (ig), (ii), (iik), और (iii)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 27 के समक्ष,-

- (i) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"अन्य विनिर्माण सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनरुत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं	9	-";

(ङ) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3), (4) और (5) में मद (iii) और (iiiक) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) निम्नलिखित में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं; (क) थीम पार्क, वाटर पार्क और कोई अन्य स्थान जिसमें जॉय राइड्स, मेरी-गो राउंड, गो कार्टिंग की सुविधा हो, या (ख) बैले, - अन्य स्थान जो कि नीचे (iiiक) में कवर नहीं किए गए हैं	9	-
(iiiक) निम्नलिखित में प्रवेश के रूप में सेवाएं -	14	-";

(क) कैसीनो या रेस क्लब या अन्य कोई स्थान जिसमें कैसीनो या रेस क्लब की सुविधा हो या		
(ख) खेल समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग		

(च) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, शब्द, अक्षर और अंक "अनुसूची I, क्र. सं. 234" के स्थान पर, शब्द, अक्षर और अंक "अनुसूची II, क्र. सं. 201क" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) 'अनुबंध: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना' में, क्रम संख्या 118 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"118क"	समूह 99654		भारत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का बहुविध परिवहन
118ख		996541	भारत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का बहुविध परिवहन "

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/207/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 14 जून, 2021, सा.का.नि. 402(अ), दिनांक 14 जून, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 06 /2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 687(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) against serial number 3, in column (3), in item (iv), in clause (g), after the figures and letters "12AA", word, figures and letters " or 12AB" shall be inserted;

(b) in serial number 17, -

(i) item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be omitted;

(ii) for item (ii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right.	9	-”;

(c) against serial number 26, in column (3), -

(A) after item (ic) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be inserted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(ica) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption	9	-”;

(B) in item (id), for the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib) and (ic)”, the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib), (ic) and (ica)” shall be substituted;

(C) in item (iv), for the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib), (ic), (id), (ii), (iia) and (iii)”, the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib), (ic), (ica), (id), (ii), (iia) and (iii)” shall be substituted;

(d) against serial number 27,-

(A) item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be omitted;

(B) for item (ii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; material recovery services	9	-”;

(e) against serial number 34, for items (iii) and (iiia) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), following items and entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(iii) Services by way of admission to; (a) theme parks, water parks and any other place having joy rides, merry-go rounds, go carting, or (b) ballet, - other than any place covered by (iiia) below	9	-
(iiia) Services by way of admission to (a) casinos or race clubs or any place having casinos or race clubs or (b) sporting events like Indian Premier League.	14	-”;

(f) against serial number 38, in column (3), in Explanation, for the figures, words and letter “ 234 of Schedule I”, the figures, letter and words “ 201A of Schedule II” shall be substituted;

(ii) in the “Annexure: Scheme of Classification of Services”, after serial number 118 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“118a	Group 99654		Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India
118b		996541	Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2021.

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 11/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 04/2021 - Central Tax (Rate), dated the 14th June, 2021 vide number G.S.R. 402(E), dated the 14th June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 07/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 688(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" अन्तःस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 9कक के सामने, कॉलम (3) में, अंकों "2020" के बाद, "जब भी पुनर्निर्धारित हो", शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रमांक 9कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9कख	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाले ए.एफ.सी. महिला एशिया कप, 2022 के अंतर्गत किसी भी समारोह में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः एशियाई फुटबाल परिसंघ (ए.एफ.सी.) और उसकी सहायक इकाइयों के द्वारा या उनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं।	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा मामले और खेल मंत्रालय प्रमाणित करें कि ये सेवाएं प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः रूप से एएफसी महिला एशिया कप 2022 के तहत किसी भी आयोजन से संबंधित हैं;

(iv) कॉलम (3) में क्रम संख्या 9घ और 13 के सामने, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" अन्तःस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रमांक 19क और 19ख के सामने, कॉलम (5) में, अंक "2021" के स्थान पर, "2022" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(vi) क्रम संख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vii) क्रमांक 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-